न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–571/2026
जोगबनी थाना कांड संख्या– 44/2026

राजीव कुमार यादव ..... आवेदक
बनाम
राज्य सरकार

आदेश

25-05-2026 आवेदक/अभियुक्त राजीव कुमार यादव की ओर से अपनी गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर बी0एन0एस0एस0 की धारा 482 के अन्तर्गत दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन, जो जोगबनी थाना कांड संख्या– 44/2026, अंतर्गत धारा– 126(2), 115(2), 118, 109, 303(2), 324(4), 352, 3(5) भा0न्या0सं0 से संबंधित है, को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिमन्यु कुमार एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राजानंद पासवान को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद सूचक राहुल कुमार यादव के अनुसार यह है कि दिनांक 22.02.2026 को समय रात में लगभग 9 बजे वह चौक पर से दवाई लेकर सर्दी खांसी का अपने घर वापस आने के क्रम में बजरंग बली मंदिर के पास रोड किनारे उसके मोटरसाईकिल को रोक कर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तगण गाली–गलौज करने लगा, जिसका उसके द्वारा विरोध किये जाने पर फाईट लात मुक्का से मारने लगा तथा राम सकल यादव ने उसे पकड़ लिया एवं यह सब मार रहा था, राजिव कुमार के हाथ में लोहे का बलिया से जान मारने के नियत से उसके आँख के पास मारा जिससे उसका बाँया आँख के उपर काफी गंभीर जख्म हो गया तथा राहुल यादव चाकू निकाल कर पेट में भोंकने लगा। मोबाईल सुनील यादव ने छिन कर रोड पर पटक कर फोड दिया, मोटरसाईकिल को छतिग्रस्त कर दिया। गले में पहना सोना का चकती चार आना का राजीव कुमार यादव ने ले लिया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है और कोई घटना कारित नहीं किया है। आवेदक द्वारा पूर्व में इस आवेदन के अलावे कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन पत्र इस न्यायालय या फिर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियोजन की कहानी बिल्कुल गलत, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है। आवेदक के विरूद्ध लगाया गया आरोप पूर्णतया गलत व आधारहीन है। आवेदक को गलतफहमी के आधार पर झूठा फंसाया गया है। घटना की तिथि 22.02.2026 को बताया जाता है, लेकिन प्राथमिकी दर्ज की तिथि 25.02.2026 है, तीनों के विलंब का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। आवेदक को ग्रामीण राजनीति के कारण झूठा फंसाया गया

है। आवेदक द्वारा सूचक एवं अन्य के विरूद्ध पलटा मुकदमा जोगबनी थाना कांड सं0–45/2026 किया गया है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते है।

दोनों पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के विरूद्ध धारा 126(2), 115(2), 118, 109, 303(2), 324(4), 352, 3(5) भा0न्या0सं0 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। आवेदक और सूचक के बीच एक–दूसरे के द्वारा पलटा मुकदमा दर्ज किया गया है। जख्म प्रतिवेदन से विदित होता है कि जख्म साधारण प्रकृति का है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक तथा सूचक एक–दूसरे का पड़ोसी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है। आवेदक को आदेश प्राप्ति की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर गिरफ्तार होने अथवा न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पर रू 10,000/– (दस हजार रूपये) एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र संबंधित न्यायालय में दाखिल करने एवं संबंधित न्यायालय के संतुष्टि पर धारा–482(2) बी0एन0एस0एस0 की शर्तों के अनुपालन करने पर, आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)

Sd/-
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।